कल्याण विभाग
Welfare Department
डायरी संख्या Diary No. 900
दिनांक Date 31-10-17

निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा.
डायरी सं. 4407
दिनाँक 31/10/17

दिल्ली विकास प्राधिकरण
कल्याण शाखा
विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली

सं. एफ.9(1)2016/वेलफेयर/डी.डी.ए./329 दिनांकः 27-10-17

परिपत्र

विषय : कर्मचारी हित निधि (एस.बी.एफ.) से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दि.वि.प्रा. के कार्यरत् कर्मचारियों (समूह 'क' अधिकारियों को छोड़कर) से आवेदन–पत्रों का आमंत्रण

प्राधिकरण ने, दिनांक 01.04.2015 को आयोजित अपनी बैठक में एजेंडा मद सं. 37/2015 के द्वारा दि.वि.प्रा. चिकित्सा परिचर्या नियमावली में यथा परिभाषित, दि.वि.प्रा. के सेवारत कर्मचारी, उनके पारिवारिक सदस्यों और आश्रितों के लाभ हेतु कर्मचारी हित निधि के सृजन को अनुमोदित किया। इससे संबंधित विवरण के परिपत्र सं. एफ.9(1)2013/वेलफेयर/डीडीए/216, दिनांक 2.6.2015 द्वारा परिचालित किया गया है ।

इस निधि के लाभार्थी निम्न होंगे :–

"लाभार्थियों" में दि.वि.प्रा. के सेवारत् कर्मचारी और उनके पारिवारिक सदस्य तथा उनके आश्रित शामिल होंगे, जैसा कि दि.वि.प्रा. चिकित्सा परिचर्या नियमावली में यथा परिभाषित है ।

आवेदन पत्रों का प्रारूप हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी में भी संलग्न है ।

निधि का आबंटन निम्न प्रकार होगा :–

क्र.सं.	शीर्ष/गतिविधि	विषय–क्षेत्र
1.	2400/–रु. से अधिक और 4800/–रु. तक के ग्रेड वेतन में कर्मचारी के बच्चों हेतु प्रतिमाह 3000 रु. की दर से उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति ।	2400/रु. और 4800/–रु. तक के ग्रेड वेतन वाले दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के बच्चों के लिए जो उच्च तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा/डिग्री (स्नातक/स्नातकोत्तर) कर रहे हों ।
2.	2400/–रु. तक के ग्रेड वेतन में कर्मचारी की लड़कियों हेतु प्रतिमाह 3000/–रु. की दर से उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति ।	2400/–रु. तक के ग्रेड वेतन में दि.वि.प्रा. कर्मचारियों की लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, जो तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा/डिग्री (स्नातक/स्नातकोत्तर) कर रही हों ।